अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2021(GCMS 2021/89)(आईटीआई पोर्टल नं. 212821789215269) श्री अमित कुमार गोल्याण पुत्र हनुमान प्रसाद गोल्याण, पता हनुमान फ्लोर मिल, पुलिस स्टेशन रोड अनूपगढ (मोबाईल नं. 97833–60400) बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अमित कुमार गोल्याण स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अमित कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2021 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समयावधि में उपलब्ध नही करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

> सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयावधि के समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/706 दिनांक 15.07.2021 एवं **स्मरण पत्र सीजी**/वाचक/22/642 दिनांक 31.05.2022 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।   परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए प्रार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को रिमाण्ड की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं के सम्बन्ध में निर्णय की प्राप्ति के 10 दिवस में उसके प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करें। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर